

मलवा उत्सर्जन का विवरण/निस्तारण (Reclamation Plan)

प्रमाणित किया जाता है, कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जनपद-गीरजापुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 07 (वाराणसी- हनुमना रोड) किमी० संख्या 49.500 से किमी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण, चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 हे० संरक्षित कुल 131.0175 हे० प्रभावित वन भूमि पर सुदृढीकरण, चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना में किसी प्रकार कोई मलवा उत्सर्जन नहीं होना है। अतः मलवा उत्सर्जन का विवरण/निस्तारण (Reclamation Plan) की आवश्यकता नहीं है।


Manager (Tech.)
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
 (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

मलवा उत्सर्जन हेतु गैर वन भूमि का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जनपद-मीरजापुर में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० संख्या 49.500 से किमी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण, चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 हे० संरक्षित कुल 131.0175 हे० प्रभावित वन भूमि पर सुदृढीकरण, चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना में किसी प्रकार कोई मलवा उत्सर्जन नहीं होना है। अतः मलवा उत्सर्जन हेतु गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है।


 प्रमुख (सि.कै.टी.)
Manager (Tech.)
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
 P. O. Varanasi
 (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)